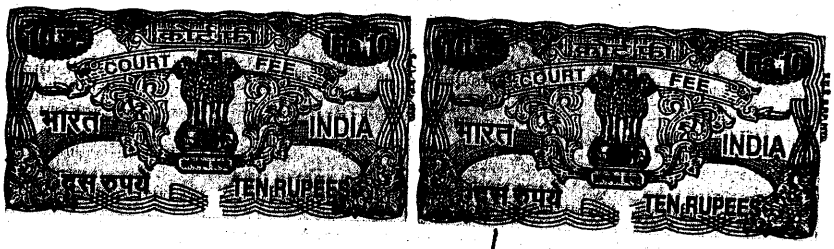

6

-1-

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर,कैंप सागर

A-414-I/17

वीरसिंह पिता खिलान सींग राजपूत
निवासी ग्राम-लहटवास तह0बीना
जिला-सागर (म0प्र0) ....अपीलार्थी

//बनाम//

म0प्र0शासन
द्वारा-कलेक्टर सागर(म0प्र0) ....प्रतिअपीलार्थी

अपील अंतर्गत् धारा 44(2) म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त अपीलार्थी न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0775-अ/21वर्ष2015-16 में पारित आदेश दिनाँक 19.01.2017 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक आवेदन इस आशय का विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया कि ग्राम भापसोन प0ह0नं028 तह0बीना में स्थित भूमि ख0नं077/6 रकवा 0.65हे0 भूमि का पट्टा शासन द्वारा 25वर्ष पूर्व अपीलार्थी को दिया था। अपीलार्थी श्वास एवं टी0बी0 की बीमारी से ग्रसित है उसके 3बच्चे एवं 1पुत्री है सभी अवयस्क है जिनके पढ़ाई लिखाई एवं भरण-पोषण के लिये उक्त भूमि का विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे। उक्त आवेदन पर कलेक्टर सागर ने तहसीलदार को जाँचकर प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु भेजा जिस पर तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर पटवारी/आर0आई0से मौके जाँचकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख लिया जिस पर पटवारी/आर0आई0 ने मौके स्थल की जाँच एवं पंचानामा सहित अपना प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार ने दिनाँक 14.01.2014 को अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से विचारण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर कलेक्टर महोदय ने यह आधार लिया कि आवेदक ने समस्त बीमारी के कागज संलग्न किये है किंतु उसके पास 5एकड़ भूमि से कम भूमि शेष बची रहेगी और अपीलार्थी का आवेदन निरस्त करने का विवादित आदेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 414-I/17 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.2.17	1— अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता दिलीप गोस्वामी प्रतिअपीलार्थी शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों को सुना गया। यह अपील न्यायालय अपर आयुक्त सागर के प्र0क्र0 775/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनॉक 19.01.2017 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के अंतर्गत् प्रस्तुत की गयी है। 2— अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलार्थी के भूमि स्वामी हक की भूमि स्थित ग्राम भापसोन प0ह0नं028 तह0 बीना खसरा क्रमांक 77/6 रकवा 0.65 हे0 जो कि शासन से लगभग 25 वर्ष पूर्व पट्टे पर प्रदान की गयी थी, आवेदक को टी0बी0,श्वास एवं पथरी जैसी गंभीर बीमारी के ईलाज हेतु विक्रय की अनुमति बावत् आवेदन पत्र मय शपथ–पत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे बिना किसी युक्तियुक्त आधार के निरस्त किया है, एवं प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों पर न कर समयसीमा के बिंदु पर ही न्यायालय अपर आयुक्त सागर द्वारा दिनॉक 19.01.2017 को अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने का विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। उनके द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु जो आवेदन पत्र दिया गया था वह स्यंम की गंभीर बीमारी टी0 बी0, श्वास एवं पथरी जैसी गंभीर बीमारी के ईलाज हेतु प्रस्तुत किया था एवं अस्पताल का प्रमाण–पत्र बीमारी से संबंधित दस्तावेज आदि प्रस्तुत भी किये थे। अपीलार्थी के 3पुत्र एवं 1पुत्री है जो अवयस्क है सभी स्कूल जाते है जिनके फीस आदि तथा भरण पोषण बीमारी हो जाने से कृषि कार्य नहीं कर पा रहा है और ईलाज हेतु काफी उधार भी ले लिया है, तथा विधिवत् निष्पादित इकरारनामा दिनॉक 03.08.2012 के तहत उचित प्रतिफल प्राप्त करते हुये अनुमति चाही थी वादग्रस्त भूमि पटवारी प्रतिवेदन	

R 414.8/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

अनुसार लगभग 25 वर्ष पूर्व शासन से प्राप्त पट्टे की भूमि है एवं विक्रय उपरांत आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आएगा जिसकी पुष्टि तहसीलदार बीना द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनॉक 14.10.1014 में की है। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की अनुमति दिया जाना न्याय संगत बताते हुये अपील ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया है।

4— मैंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को के प्रतिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह निर्विवादित तथ्य है कि अपीलार्थी द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से प्राप्त भूमि है वर्तमान् में भूमि स्वामी हक में दर्ज है। कलेक्टर सागर ने मुख्य रूप से अपीलार्थी को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि की अनुमति देने से इन्कार किया है कि अपीलार्थी ने शासकीय अस्पताल के दस्तावेज प्रारंभ में प्रस्तुत किये है इसके अवाला अन्य नहीं किये है तथा आवेदक के पास विकय के पश्चात् 5.00एकड़ भूमि से कम भूमि बचेगी जो कि शासन के नियमानुसार विकय दिया जाना संभव नहीं है, किंतु अपीलार्थी गंभीर बीमारी से ग्रसित है यह अपने आदशे में मान्य किया है, एवं गुण—दोषों पर आदेश पारित न कर समयसीमा के बिंदु पर ही अपर आयुक्त सागर द्वारा आदेश पारित किया है। परंतु अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथपत्र एवं इकरारनामा की प्रति प्रस्तुत की है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों के विचार उपरांत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनॉक 24.11.15 एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनॉक 19.01.17 निरस्त करते हुए अपीलार्थी को ग्राम भापसोन प0ह0नं028 तह0 बीना ख0नं0 77/6 रकवा 0.65 हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि विक्रय—विलेख संपादित होने के दौरान शासन द्वारा प्रचलित गाईड लाइन के मान से विक्रेता को विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं—उपपंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय विलेख संपादित करें।

सदस्य